

प्रपत्र-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।
(लम्बाई 3.200 किमी०)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत।

रु0 21.32 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी कारणों से वैकल्पिक स्थानों पर मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

आवश्यकता नहीं है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

वन पंचायत भूमि	0.018 है०
नाप भूमि	2.862 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 - क) परिवारों की संख्या

आवश्यकता नहीं है।
 - ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

आवश्यकता नहीं है।
 - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

सारणी 4 संलग्न है।

दिनांक 18-01-21

स्थान 37/20

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी के इन्सपेक्टर

नाम

मेहर

आध्यासी आभारता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)